न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0 वाद सं0 37/2016 दिनांक 27/08/2016

प्रथम पक्ष.............. झारखण्ड सरकार ।

बनाम

द्वितीय पक्ष............. बुद्धे सिंह पिता कलिका प्रासाद सिंह बगैरह.......... ।

आदेश

उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 016/2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, प्रथम पक्ष (1) झारखण्ड सरकार । **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) बुद्धे सिंह पिता कलिका प्रसाद सिंह (ललु महतो पिता मुदू महतो (3) रामवृत महतो पिता भौआ महतो तीनों सं0 लतरा (4) प्रेम मुण्डा पिता स्व0 ठिसू मुण्डा सा0 कोन्सा (5) माना सिंह पिता स्व0 बिरसा सिंह सा0 पकरा (6) चमरू गोप पिता मल्लार गोप सा0 सरीता (7) सनिका तोपनो पिता बोसो तोपनो सा0 कोनालोया (8) ओझा पाहन पिता भौसा पाहन सा0 रामतोलया बगिचा टोली (9) अमित यादव पिता उपेन्द्र यादव सा0 काराकेल (10) रमेश सिंह पिता गुचा सिंह सा0 कुलबुरू (11) पौलुस कंडुलना पिता मना सिंह कंडुलना सा0 बोंगदा (12) गुलाब साहू पिता बालचन्द्र साहु ग्राम हाफू (13) बिजय महतो पिता स्व0 गुज्जू महतो ग्राम हॉफू (14) जोहन बारला पिता स्व0 जुलियस बारला ग्राम रेडवा बड़काटोली (15) रामप्रसाद महतो पिता बड़काटोली (16) तापु कंडुलना पिता फातु कंडुलना ग्राम चटकपुर जतराटोली। सभी द्वितीय पक्ष थाना कामडारा जिला गुमला को प्रतिबंधित पी0एल0एफ0आई उग्रवादी के समर्थक एवं ग्रामीणों को उग्रवादी का डर दिखाकर डराना मारपीट करने के विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना को लेकर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है। (द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य जोहन बारला पिता स्व0 जुलियस बारला सा0 बड़काटोली एवं अमित यादव पिता उप्रेन्द्र यादव सा0 कराकला उक्त वाद में उपस्थित नहीं हुए)

द्वितीय पक्ष के प्राधिकृत विद्ववान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा एवं लिखित जवाब दाखिल किये है कि द्वितीय पक्ष के लोंगो में धारा 107 दं0प्र0सं के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है वह बेबुनियाद है एवं सत्य से परे है वाद खारीज होने योग्य है। द्वितीय पक्ष के विरूध में पुलिस के द्वारा आरोप लगाया गया है। जो गलत है । द्वितीय पक्षों का पी0एल0एफ0आई0 उग्रवादियों से किसी प्रकार का सम्बद्ध नहीं है और पी0एल0एफ0आई के बारे में द्वितीय पक्षों को कोई सरोकार नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है किसी भी ग्रामीण या आम जनता को किसी प्रकार का धोंस नहीं दिखाया गया है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

25/10/16

अनुमण्डल दण्डाधिकारी (गुमला)

पुलिस के द्वारा पी0एल0एफ0आई के विरूद्ध में जॉच पड़ताल करती है उनलोंगो के विरूध में कार्रवाई करती है द्वितीय पक्षों को पुलिस जान बूझकर परेशान करने के नियत से मुकदमा कर दिया गया है। आम जनता की तरफ से द्वितीय पक्ष के लोग भी प्रशासन को साथ देते है और शांतिप्रिय रहते हुए कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किये है। द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में आज तक किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं है। इस संबंध में वाद की कार्यवाही प्रथम तिथि से ही द्वितीय पक्ष को बंध पत्र दाखिल करने हेतु अधिवक्ता को आदेशित किया गया। द्वितीय पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया है कि कामडारा प्रखण्ड पी0एल0एफ0आई0 क्षेत्र है आये दिन कंथित संगठन द्वारा कई प्रकार से हत्याये की जाती है जिसमें अपराधियों की पहचान बहुत मुश्किल होती है अतः अप्रथमिकी के नामजद पक्षकारो को ऐसी स्थिति में इन घटनाओं को लेकर कारावासित करने की प्रकिया आसान हो जयगी। ऐसी स्थिति में सभी पक्षकार बंध पत्र देने के पक्ष में नहीं है।

द्वितीय पक्षों से कारण पृच्छा एवं जवाब प्राप्त है विगत छः माह की अवधि में द्वितीय पक्षों के द्वारा शांति भंग करने एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने की सूचना थाना प्रभारी या अन्य सूचना से प्राप्त नहीं है।

अनुपस्थित पक्षकार जोहन बारला पिता स्व0 जुलियस बारला ग्राम रेडवा बड़काटोली के संबध में थाना प्रभारी कामडारा को वारेंट भेजी गई परन्तु तामिला कि प्रति एवं वारेंटेडपक्षकार न्यायालय में उपस्थापित नहीं किये जा सके है।

अतः उक्त वाद की समयवधि समाप्त होने एंव द्वितीय पक्षों के द्वारा किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की सूचना किसी माध्यम से प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बसिया (गुमला)

25/05/17

अनुमंडल दडाधिकारी
बसिया।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

ज्ञापांकः– 36(i) दिनांकः– 22/05/17

प्रतिलिपितः– थाना प्रभारी, कामडारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

25/05/17

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.19 14:48:25 +05:30
Location: 192.168.1.4